आर. राधाकृष्णन

बनाम

पुलिस महानिदेशक एवं अन्य

12 अक्टूबर, 2007

(एस.बी. सिन्हा और हरप्रीत सिंह बेदी न्यायाधिपति)

सेवा कानूनः फायरमैन की नियुक्ति-अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को सत्यापन रोल में यह बताना होगा कि क्या वह आपराधिक मामले में शामिल था और गैर-प्रकटीकरण उसे बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी बना देगा-चयनकर्ता द्वारा इस बहाने से गैर-प्रकटीकरण कि उसे अंततः दोषमुक्त कर दिया गया था-चयन नहीं किया गया- के खिलाफ चुनौती अभिनिर्धारित- उनका चयन नहीं करना सही ठहराया गया क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था-ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता-समानता।

अपीलार्थी ने 05.01.2000 को फायरमैन पद के लिए आवेदन दायर किया। इसके बाद उन्हें अनंतिम रूप से चयनित किया गया और जिसके पश्चात उसने सत्यापन रोल प्रस्तुत की। सत्यापन रोल में इस बात पर विचार किया गया कि यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा दिया गया बयान गलत पाया जाता है तो वह बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी होगा। इस खण्ड में कि क्या चयनित अभ्यर्थी किसी आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में शामिल रहा है, या क्या उसके खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक मामला लम्बित है या क्या उसे गिरफ्तार किया गया था या दोषसिद्ध ठहराया गया था और किसी आपराधिक या अन्य अपराध में कारावास या जुर्माना से दण्डित किया है। अपीलार्थी ने नकारात्मक उत्तर दिया था।

हालांकि, वह दिनाँक 15.04.2000 को हुई एक घटना में शामिल था और उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 (बी) के तहत कार्यवाही की गयी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। 25.09.2000 को उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। उनका चयन इस आधार पर नहीं किया

गया कि उसने उपरोक्त मामले की लम्बितता के सम्बन्ध में अपने सत्यापन रोल में गलत बयान दिया था।

उसने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष ओए दायर किया जिसे इस आधार पर अनुमति दी गयी कि उसे आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था और इसलिए फायरमैन के पद पर नियुक्ति से इन्कार करने का कोई कारण मौजूद नहीं था। नियोक्ता/प्रत्यर्थी ने सफलतापूर्वक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1-निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी का आशय वर्दीधारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने का था। ऐसी सेवा में सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो अन्य सेवायें देने का इरादा रखता है। नियुक्ति के लिए आवेदन और सत्यापन रोल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में थे। इसलिए, वह अपने बयान के निहितार्थ या एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में चूक को जानता और समझता था। तथ्य यह है कि इस तरह का खुलासा होने की स्थिति में, प्राधिकारी उसके चरित्र का सत्यापन कर सकते थे और नियुक्ति की उपयुक्तता भी विवाद में नहीं हैं यह भी विवाद में नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने ऐसे खुलासे नहीं किए थे और इस प्रकार उनकी स्थिति समान थी, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया (पैरा 10) (457-बी, सी)

2-अपीलकर्ता ने एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया था। इस प्रकृति के मामले में, उसके पक्ष में न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता।(पैरा 13) (461-बी)

टी.एस. वासुवन नायर बनाम विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केन्द्र और अन्य के निदेशक, (1988) सपोर्ट एससीसी 795 विशिष्ट दिल्ली प्रशासन मुख्य सचिव के माध्यम से व अन्य बनाम सुशील कुमार (1996)11 एससीसी 605, संदर्भित ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2007 की सिविल अपील संख्या 4874

मद्रास न्यायिक न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनाँक 21.01.2004 डब्ल्यू.पी. सं. 13357/2002 में

साथ

सी.ए. नं. 4875/2007

वी.प्रभाकर, वी.सुब्रमण्यन, रेवती राघवन और रामजी प्रसाद अपीलार्थी के लिए आर.वेंकटरमानी, वी.जी.प्रगसम, एफ जोसेफ अरस्तू और एस. प्रभु प्रत्यर्थी के लिए रामसुब्रमण्यन।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया

1. अनुमति दे दी गयी ।

2. मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनाँक 21.01.2004 और 27.04.2006 व 2002 की रिट याचिका संख्या 13357, और 2005 का आर.ए संख्या 68 से व्यथित होकर हमारे सामने है।

3. दिनाँक 29.12.1999 को जारी एक विज्ञापन के अनुसरण में या उसके अनुसरण में, अपीलार्थी 05.01.2000 को फायरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवदेन दायर किया। उसके बाद उसे अनंतिम रूप से चयनित किया गया, जिसके बाद उसने एक सत्यापन रोल जमा किया, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "मुझे ज्ञात है कि यदि मुझे सूचीबद्ध किया जाता है और मेरे द्वारा दिया गया मेरा बयान झूठा पाया जाता है, तो मैं झूठे बयानों के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए खुद को बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हो जाऊंगा।
>
> 15.क्या आप कभी किसी आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में शामिल हुए है? - नहीं
>
> 16. क्या आपको कभी किसी आपराधिक या अन्य अपराध में गिरफ्तार किया गया है या दोषी ठहराया गया है और कारावास या जुर्माना से दण्डित किया है हाँ तो सी.सी. नम्बर और न्यायालय का विवरण दें - नहीं
>
> 18.क्या आपके विरूद्ध कोई दीवानी या आपराधिक मामला लम्बित है? यदि हाँ, तो विवरण। - नहीं

4. अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि हालाँकि, वह इसमें शामिल था, घटना जो 15.04.2000 को घटी, और उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294(बी) के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालाँकि उन्हें 25.09.2000 को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। अन्य बातों के अलावा इस आधार पर कि उन्होंने उपरोक्त मामले की लम्बितता के सम्बन्ध में अपने सत्यापन रोल में गलत बयान दिया था, उनका चयन नहीं किया गया।

5. उसने तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनाँक 04.03.2002 के एक फैसले और आदेश के आधार पर राय दी कि चूंकि उसे आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए कोई कारण मौजूद नहीं था कि उसे फायरमैन के पद पर नियुक्ति से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। यहां प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गयी एक रिट याचिका को आक्षेपित निर्णय के कारण अनुमति दी गयी थी।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर ने इस अपील के समर्थन में एक संक्षिप्त प्रश्न उठाया, अर्थात् इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने कथित दुर्घटना की तारीख से पहले आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे और जब उसने सत्यापन रोल भरा तब तो वह दोषमुक्त भी हो गया, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने सेवा में नियुक्ति से इन्कार करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छुपाया है।

7. विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि इस प्रकृति के मामले में, उच्च न्यायालय को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए था और प्रत्यर्थी की रिट याचिका को केवल इस आधार पर अनुमति नहीं देनी चाहिए थी कि उसने आपराधिक मामले में अपनी संलिसता के तथ्य को छुपाया था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.वेंकटरमानी का कहना है कि अपीलार्थी की ओर से सद्भावना या अन्यथा इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए मानदण्ड नहीं हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत

किया कि सुसंगत तथ्य, जैसे कि एक आपराधिक मामले में संलिप्तता और वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294(बी) के तहत एक संज्ञेय अपराध में खुलासा किया गया था, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी उसके चरित्र और नियुक्ति हेतु उपयुक्तता को सत्यापित कर सकते थे। नियुक्ति के लिए यह इंगित किया गया कि समान स्थिति वाले व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मामले संस्थित थे, उनका चयन नहीं किया गया था।

9. विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा अपीलार्थी को पता था कि यदि सत्यापन रोल में दिया गया बयान गलत पाया गया तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है,अब यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने सद्भावनापूर्वक या अन्यथा आपराधिक मामले की लम्बितता का उल्लेख करने का लोप किया।

10. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी का इरादा वर्दीधारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने का था। ऐसी सेवा में सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो अन्य सेवाएं देने का इरादा रखता है। नियुक्ति के लिए आवेदन और सत्यापन रोल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में थे। इसलिए, वह अपने बयान के निहितार्थ या एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में चूक को जानता और समझता था। तथ्य यह है कि इस तरह का खुलासा होने की स्थिति में, प्राधिकारी उसके चरित्र का सत्यापन कर सकते थे और नियुक्ति की उपयुक्तता भी विवाद में नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने इस तरह के खुलासे नहीं किये थे और इस प्रकार उनकी स्थिति समान थी उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।

11. यह दिल्ली प्रशासन जरिये मुख्य सचिव व अन्य बनाम सुशील कुमार, (1996) 11 एससीसी 605 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया थाः

> "3...न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेश में आवेदन को इस आधार पर अनुमति दी कि चूंकि प्रत्यर्थी को धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता, अन्तर्गत धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध से

उन्मोचित/या दोषमुक्त कर दिया था, उसे राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विधि में सही है? यह देखा गया है कि चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन यह जांचने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है कि क्या चयनित उम्मीदवार राज्य के अन्तर्गत एक पद के लिए उपयुक्त है। हालांकि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया गया, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया और अंनतिम रूप से चयनित किया गया, उसके पिछले रिकार्ड के कारण, नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे व्यक्ति को अनुशासित बल में एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं माना। मामले की पृष्ठभूमि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित नहीं कहा जा सकता।"

12. श्री प्रभाकर ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है-

टी.एस. वासुवन नायर बनाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक व अन्य, (1988) समर्थन एससीसी 795 । उक्त निर्णय, जैसा कि निर्णय से ही स्पष्ट होगा, उक्त मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर दिया गया है एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता।

13. हस्तगत मामले में, निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया था। इस प्रकृति के मामले में, हमारी राय है कि उसके पक्ष में न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता।

14. उपरोक्त कारणों से इस अपील में कोई सार नहीं है। जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। हालाँकि, तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

डी.जी. अपीलें खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्नेहा जाखड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।'